न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–184 सन् 2018

अखिलेख प्रसाद.....वादी।

बनाम

रूदल राय वगैरह.....प्रतिवादीगण।

दिनांक– 04.12.2023

वादी की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 39 नियम 1 वो 02 वो धारा 151 सी0पी0सी0 दाखिल आवेदन दिनांक 10.03.2021 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि इस वाद की सिडियुल नं0 01 की भूमि जो सिडियुल नं0 02 का अंश है जो इस वाद की तकरारी एराजी हैं इस वाद की तकरारी एराजी सिडियुल नं0 02 की भूमि जिसका कुल रकबा 1 बिगहा 16 कठा 15 धुर है जिसका खाता नं0 232 खेसरा नं0 69 जो मौजा राजपुर, थाना–दरियापुर, जिला–सारण में अवस्थित है जो वादी की मोरिस सुकृत राउत को मालिक द्वारा बमाह फागुन 1339 जो जेठ 1339 फसली में मालिक द्वारा बंदोबस्त की गई थी। बंदोबस्त की तारीख से वादीगण के मारिस अपने हक से उक्त भूमि पर दाखिल काबिज रहते आए तथा लगान भी अदा करते आये। वादीगण के गवाने में प्रतिवादीगण जो एक ही परिवार के दबंग वो सवंगर हैं। वादी के उक्त कुल एराजी के अंश 14 कठा से दिनांक 25.12.2014 को बेदखल कर दिए हैं। जिसका विवरण वादपत्र के सिडियुल नं0 01 वो नजरी नक्सा में क,ख,ग,घ वो च,छ से दिखाया गया है। तकरारी एराजी 14 कठा के अतिरिक्त जो शेष एराजी 22 कठा 15 धूर जो वादी के दखल कब्जे में है उसको भी प्रतिवादीगण दखल कब्जा करने पर अमादे हैं तथा इस हेतु नाजायज हड़कत कर रहे हैं तथा निर्माण हेतु तैयारी भी कर रहे हैं। वस्तुतः वादीगण की प्रथम दृष्टया मामला में वाद है तथा तुला का संतुलन भी वादीगण के पक्ष में है तथा इंतनाई नहीं होने से वादीगण को अपूर्णिय क्षति है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादीगण को तकरारी एराजी सिडियुल नं0 2 की भूमि में कोई निर्माण करने से ता फेसला मुकदमा बाज रखा जाए।

प्रतिवादीगण की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक 16.06.2021 को दाखिल कर कथन है कि वादीगण की ओर से दाखिल इंतनाई आवेदन दिनांक 10.03.2021 कानूनन पोषणीय नहीं है बल्कि काबिले खारिज के है। वादी को तकरारी एराजी पर कोई वैध कारण प्राप्त नहीं है तथा गलत आशय का आवेदन दाखिल किया गया है। प्रतिवादी का खाता नं0 69 , प्लॉट नं0 232 रकबा 11 कठा भूमि कुल रकबा 3 बिगहा 13 कठा 3 धूर के बीच में है तथा वादी को प्रतिवादी के

भूमि से कोई संबंध नहीं है। उस तकरारी एराजी 11 कठा में प्रतिवादीगण का आवासीय मकान तथा कुछ जमीन खाली है जिसका सहन के रूप में उपयोग करते हैं। प्रतिवादी के पूर्वज के मरने उनका शांतिपूर्ण दखल कब्जा एवं अवासीय मकान में परिवार के साथ रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में वादी की ओर से दाखिल इंतनाई आवेदन स्वीकृत होने योग्य नहीं है। वादी की अ ोर से गलत आशय का आवेदन दाखिल किया गया है। वादी का तकरारी एराजी पर न तो प्रथम दृष्टया मामला और न ही सुविध का संतुलन प्राप्त है। जबकि प्रतिवादी का तकरारी एराजी पर प्रथम दृष्टया मामाल एवं सुविधा का संतुलन प्राप्त है। इंतनाई लागू होने से प्रतिवादीगण को अपूर्णिय क्षति होगी। जबकि इंतनाई लागू नहीं होने वादी को कोई अपूर्णिय क्षति होने की संभावना नहीं है। अतः निवेदन है कि वादी की ओर से दाखिल इंतनाई आवेदन को खारिज की जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद वादी की ओर से इंतनाई हेतु दाखिल किया गया है। वादी का इंतनाई आवेदन में कथन है कि वादी के उक्त कुल एराजी के अंश 14 कठा से दिनांक 25.12.2014 को बेदखल कर दिए हैं। जिसका विवरण वादपत्र के सिडियुल नं0 01 वो नजरी नक्सा में क,ख,ग,घ वो च,छ से दिखाया गया है। तकरारी एराजी 14 कठा के अतिरिक्त जो शेष एराजी 22 कठा 15 धूर जो वादी के दखल कब्जे में है उसको भी प्रतिवादीगण दखल कब्जा करने पर अमादे हैं। जबकि प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिउत्तर में कथन है कि उस तकरारी एराजी 11 कठा में प्रतिवादीगण का आवासीय मकान तथा कुछ जमीन खाली है जिसका सहन के रूप में उपयोग करते हैं। प्रतिवादी के पूर्वज के मरने उनका शांतिपूर्ण दखल कब्जा एवं अवासीय मकान में परिवार के साथ रहते हैं। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वादी ने अपने वादपत्र के दादरसी में तकरारी एराजी से प्रतिवादी का स्ट्रक्चर हटवा कर वादी का दखल कब्जा दिलवाने हेतु दाखिल किया है। इससे साफ जाहिर होता है कि तकरारी एराजी पर प्रतिवादीगण का दखल कब्जा है तथा अवासीय मकान भी है। जिससे प्रतिवादीगण का प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रतिवादीगण के पक्ष में बनता प्रतीत हो रहा है। जबकि इंतनाई लागू होने से प्रतिवादीगण को अपूर्णिय क्षति होने की संभावना है तथा इंतनाई लागू नहीं होने वादीगण को कोई अपूर्णिय क्षति होता प्रतीत नहीं हो रहा है। अतः वादी की ओर से दाखिल इंतनाई आवेदन दिनांक 10.03.2021 को खारिज किया जाता है।

वाद दिनांक.....को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर, सारण।